Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर निगम–हैरिटेज, जयपुर का कनिष्ठ सहायक 6 हजार 500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *29 अप्रेल शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपायुक्त, हवामहल–आमेर जोन, नगर निगम हैरिटेज, चौगान स्टेडियम, जयपुर को परिवादी से **6 हजार 500 रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पट्टा ट्रासंफर की फाइल को स्वीकृत करने की एवज में संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपायुक्त, हवामहल–आमेर जोन, नगर निगम हैरिटेज, चौगान स्टेडियम, जयपुर द्वारा **12 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **जयपुर नगर प्रथम** इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये संजीव कुमार पुत्र श्री पवन कुमार निवासी वार्ड नं0 7, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी किरायेदार म.नं. 220, तारानगर–डी, झोटवाड़ा, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपायुक्त, हवामहल–आमेर जोन, नगर निगम हैरिटेज, चौगान स्टेडियम, जयपुर को परिवादी से **6 हजार 500 रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।